

जिला पंजीयक महोदय

गुजरा 2020/00228

महोदय,

प्रार्थीया सुहित्रा चौधरी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी एस.आर. 12 रिट्टी सिट्टी एनक्लैव-1 श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर, ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 09.09.2020 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थीया को गवाह श्री विनोद पुत्र श्री लच्छीराम एवं महेन्द्र कुमार पुत्र डालूराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री विनोद चुघ अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है 20/11/2020
जिला पंजीयक महोदय

जिला पंजीयक महोदय - 4/12/2020